न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 85/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1 मांगु आत्मज चतरभूज गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2 नारायण आत्मज चतरभूज गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन लाल आत्मज भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भाला आत्मज भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवा आत्मज भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभु आत्मज भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नेनु आत्मज दयाराम गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. तोलु आत्मज दयाराम गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामा आत्मज जोधा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. देवीलाल आत्मज मोडा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गोपी आत्मज छोगा गुर्जर निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण व हमारी माता मु0 झमकु बेवा चतरभुज जी गाडरी के खामेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 700 रकबा 2.05 हैक्ट. 751 रकबा 0.61 हैक्ट. 753 रकबा 0.28 हैक्ट. 755 रकबा 0.29 हैक्ट. 757 रकबा 0. 24 हैक्ट. 818 रकबा 0.24 हैक्ट. 856 रकबा 0.01 हैक्ट. 857 रकबा 0.02 हैक्ट. 858 रकबा 0.30 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 4.04 है0 भूमि खाता संख्या 476 पर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। खातेदार झमकु का स्वर्गवास हो चुका है तथा हम प्रार्थीगण ही जायज वारिसान है प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आए दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या प्रार्थी 1 लगायत 9 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पड़ोसी

है कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा पंरतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 18.07.2018 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.09.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण व हमारी माता मु0 झमकु बेवा चतरभुज जी गाडरी के खामेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 700 रकबा 2.05 हैक्ट. 751 रकबा 0.61 हैक्ट. 753 रकबा 0.28 हैक्ट. 755 रकबा 0.29 हैक्ट. 757 रकबा 0.24 हैक्ट. 818 रकबा 0.24 हैक्ट. 856 रकबा 0.01 हैक्ट. 857 रकबा 0.02 हैक्ट. 858 रकबा 0. 30 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 4.04 है0 भूमि खाता संख्या 476 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा